



Agriculture University, Jodhpur

Jodhpur – 342304 (Rajasthan)

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

जोधपुर – 342304 (राजस्थान)

Advertisement No.: AUJ/2022/04

Date: 30th April, 2022

विज्ञप्ति

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में अशेषणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है तथा यह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक : 15 जून, 2022 सायं 5:00 बजे तक

(1) पदवार व प्रवर्गवार रिक्तियों का विवरण: निम्न तालिका अनुसार है।

*One post Backlog

Abbreviations Used : UR- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, BC –Backward Classes, MBC- More Backward Classes. EWS – Economically Weaker Sections.

३०८

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
 2. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

3. महिला, भूतपूर्व सैनिकों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) होगा।
4. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षेत्रिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जायेगी।
6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अप्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर (अन्य राज्य) की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public Employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
8. कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय होगा।
9. राजस्थान सरकार के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में प्रभावी होंगे।

(2) आवेदन प्रक्रिया :-

1. उपर्युक्त विज्ञापित पदों हेतु आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से किये जा सकेंगे, जिसका प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस हेतु आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक <https://eazypay.icicibank.com/eazypayLink?P1=p6irujZAv98CqZESZv3yBg==> के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के बाद प्राप्त शुल्क रसीद (Fee Receipt) प्रिंट करके ऑफलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य है।
3. सफेद (ए-4 साईज) कागज पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा की गई शुल्क की रसीद सहित जो कि कुलसंचिव, कृषि विश्वविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर-342304 राजस्थान के कार्यालय में दिनांक: 15.06.2022 को सायं 05.00 बजे तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए।
4. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षरों में पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हुआ/अंकित होना चाहिए।
5. आवेदन शुल्क कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट www.ajodhpur.ac.in पर उपलब्ध भुगतान लिंक (payment link) के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में ही जमा किया जाना है। आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा, अन्य किसी माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा यह रिफंड भी नहीं किया जायेगा।
6. आवेदक जिस श्रेणी के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को किसी एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी श्रेणी से संबंधित हो। किसी एक अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन अस्वीकार कर दिये जायेंगे/मान्य नहीं होंगे।
7. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ajodhpur.ac.in पर उपलब्ध विज्ञप्ति में वर्णित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द

कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) परीक्षा शुल्क :— आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ॑०५८८५४३५४३५ जमा करवा सकेंगे।

(अ) सामान्य वर्ग, व राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :-	रुपये 1000/-
(ब) राजस्थान के नौन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (OBC/MBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक हेतु :-	रुपये 750/-
(स) विशेष योग्यजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय रुपये 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु-	रुपये 500/-

नोट:-

- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
- राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक: 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क देय होगा। इसके अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है उन अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

(4) आयु सीमा :— उपर्युक्त विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट के प्रावधान निम्नांकित हैं:

क्र. सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष	5 वर्ष
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला	10 वर्ष
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला	5 वर्ष
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु से अधिक न हो।

नोट –

- उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-२) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे—आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत शासन के कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक: 22.12.2020 के अनुसार राज्य सेवाओं के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की

छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी।

4. उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था।
5. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी।
6. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) वेतनमान :— उपर्युक्त विज्ञापित पदों हेतु चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष के परिवीक्षाकाल/प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति दी जायेगी। परिवीक्षा काल के दौरान राज्य सरकार के नियमानुसार नियत/समेकित पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय है।

क्र. सं.	पद का नाम	राजस्थान सरकार के सातवें वेतनमान अनुसार देय वेतन लेवल	परिवीक्षा काल में प्रति माह देय नियत पारिश्रमिक
1.	तकनीकी सहायक / फार्म मैनेजर	L-11	रुपये 26500/-
2.	प्रशिक्षण अधिकारी (Training Officer)	L-11	रुपये 26500/-
3.	प्रयोगशाला सहायक	L-8	रुपये 18500/-
4.	कृषि पर्यवेक्षक	L-5	रुपये 14600/-
5.	क्लर्क ग्रेड-द्वितीय	L-5	रुपये 14600/-
6.	आशुलिपिक ग्रेड III (Stenographer Grade III)	L-5	रुपये 14600/-

उक्त दो वर्ष के परिवीक्षा काल व परिवर्धित अवधि यदि हो, की संतोषजनक रूप से पूर्णता पर ही नियमित पे-मैट्रिक्स में वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

(6) अशैक्षणिक पदों की आवश्यक अनिवार्य योग्यताएँ व पात्रता : पदवार निम्नानुसार है।

क्र. सं.	पद का नाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1.	तकनीकी सहायक/फार्म मैनेजर (Technical Assistant / Farm Manager)	B.Sc. (Agriculture) or B.Sc. (Horticulture) Honours from a University established by law in India.
2.	प्रशिक्षण अधिकारी (Training Officer)	B.Sc. (Agriculture) or B.Sc. (Horticulture) Honours from a University established by law in India.
3.	कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि (Agriculture) के साथ सीनियर सैकण्डरी या पुरानी योजना के अधीन कृषि (Agriculture) के साथ उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (कृषि) या बी.एस.सी. (उद्यान विज्ञान) ऑनर्स उत्तीर्ण।
4.	प्रयोगशाला सहायक (Laboratory Assistant)	सीनियर सैकण्डरी अथवा हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण वैकल्पिक विषय विज्ञान (Science) सहित।
5.	क्लर्क ग्रेड-द्वितीय (Clerk Grade II)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent Examination. AND 2. "O" or Higher Level certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. OR Certificate course on computer concept by NIELIT, New Delhi. OR Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Data preparation and computer software (DPCS) certificate organized under National/State council

	<p>or Vocational Training Scheme.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Degree/Diploma/Certificate in Computer Science / Computer application from a university established by law in India or from an institution recognized by the Government.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with the computer Science/ Computer Application as one of the subjects.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Diploma in computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RS CIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited".</p>
6.	<p>आशुलिपिक ग्रेड III (Stenographer Grade III)</p> <p>1. Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent Examination. AND 2. "O" or Higher Level certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Certificate course on computer concept by NIELIT, New Delhi.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Data preparation and computer software (DPCS) certificate organized under National/State council or Vocational Training Scheme.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Degree/Diploma/Certificate in Computer Science / Computer application from a university established by law in India or from an institution recognized by the Government.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with the computer Science/ Computer Application as one of the subjects.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Diploma in computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited".</p>

नोट: उक्त तालिका में सभी पदों हेतु वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है।

(7) चयन प्रक्रिया :— विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन प्रक्रिया, परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.aujodhpur.ac.in पर उपलब्ध है, जिसे वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। इन पदों हेतु परीक्षा स्थान एवं तिथि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

(8) प्रवेश पत्र :— विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ ही परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र का प्रारूप संलग्न है। इस संलग्न प्रवेश पत्र के प्रारूप में अभ्यर्थी को केवल अपना नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में), पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्ग, लिंग, पत्राचार पता आदि अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखने/अंकित करने होंगे, जो कि सुपार्ट्य हो। इन्हें अभ्यर्थी द्वारा सावधानी एवं ध्यानपूर्वक भरा जाना चाहिये। इस प्रवेश पत्र में रोल नम्बर, परीक्षा की तिथि व समय, परीक्षा केन्द्र व इसका कोड विश्वविद्यालय द्वारा भरा जायेगा। अतः इन कॉलम को अभ्यर्थी द्वारा रिक्त ही रखा जायेगा।

अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र प्रारूप में यथा निर्धारित दोनों स्थान पर एवं आवेदन पत्र पर समान नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र के केवल उपरी भाग में हस्ताक्षर किये जाने हैं। इसके निचले भाग में हस्ताक्षर परीक्षा के समय किये जायेंगे।

(9) आवेदन करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देशः—

1. अभ्यर्थी भारतीय नागरिक ही हो।
2. अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन की स्थिति में प्रत्येक पद के लिए पृथक—पृथक आवेदन पत्र भरा जाएगा एवं शुल्क भी प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग—अलग देय होगा।
3. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उसी श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करें। यदि आवेदक द्वारा अपनी योग्य श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है, तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जायेगी। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर विश्वविद्यालय अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।
4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपना स्थायी व पत्राचार पता, मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी आवश्यक रूप से सावधानी पूर्वक एवं स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए। जिससे आगामी पत्राचार में दुविधा न हो।
5. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक : 15 जून, 2022 समय सायं 05.00 बजे तक है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र रद्द माने जायेंगे तथा उन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। डाक विलम्ब की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी।
6. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षरों में पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हुआ/अंकित होना चाहिए।
7. विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन प्रक्रिया, परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.aujodhpur.ac.in पर उपलब्ध है, जिसे वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। इन पदों हेतु परीक्षा स्थान एवं तिथि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।
8. विज्ञापित के संबंध में संशोधन, अगर कोई हो तथा भर्ती संबंधी अन्य सूचना/विवरण को विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। अभ्यर्थी नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
9. अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि की समुचित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित पठनीय प्रतिलिपियां संलग्न करनी होगी तथा इन्हें परीक्षा परिणाम आने के बाद मैरिट में आने वाले अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा माँगे जाने पर मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
10. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर ही पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
11. विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित पदों के विरुद्ध परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा अभ्यर्थी को प्रेषित किये जायेंगे। जिसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जावेगी।
12. परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसकी उम्मीदवारी सही मान ली गयी है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियां विश्वविद्यालय द्वारा सही मान ली गई हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आवेदकों के पात्रता की जांच अलग से की जावेगी। पात्रता की जांच करते समय उम्मीदवार को आवेदन पत्र में संलग्न समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
13. “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल/प्रक्रियाधीन के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी।
14. सीधी भर्ती द्वारा विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के रूप में की जायेगी इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न दे कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद पूर्ण नहीं होने की स्थिति में परिवीक्षाकाल में नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगे। वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु परिवीक्षा अवधि की गणना नहीं की जायेगी।

15. राजस्थान राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. आवेदक को विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व अनुभव पत्र यथासमय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. उपर्युक्त पदों पर भर्ती के लिये उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए।
18. विश्वविद्यालय सेवा में आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पदों में से किसी नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
19. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ एक बार परीक्षा शुल्क जमा करवा दिये जाने के बाद यह किसी परिस्थिति में लौटाया (Refund) नहीं जायेगा/वापस देय नहीं होगा।
20. इस विज्ञप्ति के माध्यम से नियुक्त किसी कार्मिक को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में किसी भी केन्द्र/इकाई/कार्यालय में पदस्थापित किया जा सकेगा।
21. आवेदक द्वारा अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं धारण करने से ही किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये बुलाने का अधिकार नहीं हो जाता है। प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा पदों की संख्या के अनुसार यदि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है और विश्वविद्यालय द्वारा सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेना सुविधाजनक अथवा संभव न हो तो, विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि वे ऐसे आवेदन पत्रों की छंटनी (Screening) उच्च योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा के आधार पर की जा सकती है।
22. उक्त पदों पर भर्ती के लिए छंटनी हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने तथा बिना कारण निर्दिष्ट किए विज्ञापित पद पर भर्ती नहीं करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
23. इस विज्ञप्ति के प्रसारण एवं चयन प्रक्रिया के समाप्त तक रिक्तियों में विधिक तौर पर अन्तर आने की स्थिति में रिक्त पदों की गणना चयन प्रक्रिया के समाप्त के पश्चात् की जायेगी।
24. भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी भी योजना/स्कीम के पद योजना/स्कीम के समाप्त होने के साथ स्वतः ही समाप्त माने जायेंगे।
25. उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि नियुक्ति पत्र जारी होने के पश्चात् भी, अभ्यर्थी को प्रदत्त/जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र व्यवहार को संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
26. किसी प्रकार के डाक विलम्ब तथा साक्षात्कार के आयोजन एवं परिणाम एवं साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित नहीं करने के कारणों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। सम्बन्धित जानकारी हेतु आवेदक नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट का निरीक्षण करें।
27. किसी भी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
28. इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियुक्ति/चयन हेतु किसी प्रकार की सिफारिश/दबाव की स्थिति में अभ्यर्थी को निरहित (Disqualify) कर दिया जायेगा।
29. ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चे वाले आवेदक को नियुक्ति के लिये तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक की पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कूल संख्या गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक ईकाई समझा जावेगा।
30. विश्वविद्यालय के नियमानुसार जीवित सन्तानों की संख्या की बाध्यता सम्बन्धी नियम एवं राज्य सरकार में कार्मिकों के आचरण के सम्बन्ध में प्रवर्तित अन्य नियम लागू होंगे।
31. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड/आयोग से अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित अभद्र व्यवहार के कारण भविष्य की परीक्षाओं के लिये/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debarred) किया गया हो तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
32. केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक कमजोर वर्ग/विशेष योग्यजन अभ्यर्थी, आवेदन पत्र के सम्बन्धित स्थान पर अपनी श्रेणी इंगित करें एवं सक्षम



- प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति/निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति हार्डकॉपी के साथ विश्वविद्यालय द्वारा मॉगने पर संलग्न करें। पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
33. राजस्थान सरकार के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में प्रभावी होंगे।
 34. नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये राजस्थान सरकार के नियमों के अनुरूप पेन्शन योजना (Pension Scheme) विश्वविद्यालय में लागू रहेगी।
 35. विश्वविद्यालय में किसी योजना/स्कीम/परियोजना/प्लान के पद उस योजना/स्कीम/परियोजना/प्लान के समाप्त होने के साथ स्वतः समाप्त माने जावेंगे।
 36. विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के समय समय पर प्रचलित नियम व प्रावधान उक्त नियुक्तियों पर लागू होंगे।
 37. किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किये जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय सतुंष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
 38. किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसकी पूर्व में पत्नी जीवित हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा। किसी महिला आवेदक इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय सतुंष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
 39. कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।
 40. पूर्व से राजकीय सेवा में नियोजित अभ्यर्थी नियत तिथि के भीतर आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा मॉगने पर संलग्न करें।
 41. यदि किसी अभ्यर्थी को पूर्व में न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में आयु सीमा में शिथिलता का लाभ दिए जाने के आदेश दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित आवेदक अलग से आवेदन के सात दिवस के भीतर निम्नहस्ताक्षर्ता को लिखित में सूचित करें।
 42. इस भर्ती प्रक्रिया/विज्ञापन से संबंधित समस्त न्यायिक मामलों का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर होगा।



कुलसाहय
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर